छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़
शंकर नगर, रायपुर

<u>अपील प्रकरण कमांक 1156/2007</u>

1. **श्री सुखराम सिंह कच्छ,** - *अपीलार्थी*
ग्राम-बड़े आरापुर, पोस्ट-तोकापाल,
तहसील-जगदलपुर,
जिला-बस्तर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* - *प्रति अपीलार्थी*
कार्यालय तहसीलदार,
तहसील-जगदलपुर,
जिला-बस्तर (छत्तीसगढ़)

//<u>आदेश</u>//

(दिनांक 12 मई, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री सुखराम सिंह कच्छ द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए तहसीलदार, जगदलपुर, जिला-बस्तर के समक्ष दिनांक 14.06.2007 को आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नही मिलने के कारण और बाद में दिनांक 03.08.2007 को भ्रामक जानकारी देने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपील दिनांक 16.08.2007 को प्रस्तुत की गई, किन्तु प्रथम अपील का समयावधि में निराकरण नही होने के कारण उससे असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष दिनांक 10.12.2007 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की गई । प्रकरण में विलंब के लिए तहसीलदार/जन सूचना अधिकारी को दस हजार रूपये शास्ति का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया । प्रकरण में पूर्व में कलेक्टर से मार्गदर्शन चाहने के कारण तथा नकल शाखा में आवेदन पेश कर नकल लेने के लिए लिखा गया था और बाद में आयोग के निर्देशानुसार दिनांक 03.03.2008 को नि:शुल्क जानकारी दे दी गई है । अपीलार्थी ने जानकारी को थोड़ी अधूरी होना बताया है तथा उन्होंने वर्ष 1982 से 1993 तक की जानकारी चाही थी, जबकि वर्ष 1983 से 1993 तक की जानकारी दी गई है, इस संबंध में तहसीलदार ने राजस्व वर्ष और वित्तीय वर्ष का भ्रम होना बताया है । चूंकि तहसीलदार की जानकारी छिपाने जैसी दुर्भावना नही थी, अत: उनके विरूद्ध जारी कारण

बताओ सूचना पत्र निरस्त किया जाता है, किन्तु यह निर्देश दिये जाते हैं कि जिस थोडी अवधि की जानकारी देना शेष रही गई है, वह अब अपीलार्थी को बुलाकर निरीक्षण करा दे और बाद में उसकी जानकारी निःशुल्क प्रदान की जावे । साथ ही प्रकरण में विलंब के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से राशि 300/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त